राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 12 (पीआईएल) / आयो / आकाशि / 2013 / 2156 दिनांक 9 दिसम्बर,2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :–डी.बी.सिविल रिट याचिका सं. 3673 / 13 राधा शेखावत बनाम राज्य एवं अन्य के संबंध में सूचना बाबत।

संदर्भ :–आयुक्तालय का पत्रांक 2096 दिनांक 20.11.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत डी.बी.सिविल रिट याचिका सं. 3673 / 13 राधा शेखावत बनाम राज्य एवं अन्य के संबंध में संदर्भित पत्र के द्वारा निर्देशित किया है कि महाविद्यालय में शौचालय एवं यूरिनल्स की संख्या छात्र / छात्राओ के निर्धारित मानदण्डानुसार एवं इनकी नियमित (दैनिक) साफ–सफाई तथा शुद्ध पेयजल व्यवस्था यदि उचित अनुपात में नहीं है तो उक्त सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए छात्रनिधि तथा महाविद्यालय विकास समिति कोष में उपलब्ध राशि से अथवा स्थानीय भामाशाह / दानदाता / MPLAD/ MLALAD के माध्यम से फण्ड प्राप्त कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना **दिनांक 31.01.2020** तक आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

(बी.एल. गोयल)
अतिरिक्त आयुक्त
कालेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर

क्रमांक एफ 12 (पीआईएल) / आयो / आकाशि / 2013 / 2157–59 दिनांक 9 दिसम्बर,2019

प्रतिलिपि :–

1 समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की पालना संबंधित महाविद्यालयो में करवाना सुनिश्चित करे।

2 समस्त ओ.आई.सी, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित राजकीय महाविद्यालय में माननीय उच्च न्यायालय,जयपुर के आदेश की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करे।

3 प्रभारी वेबसाइट, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

दीपाली 9.12.19
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राज.,जयपुर

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 12 (PIL) आयो/आकाशि /2019 /2096 दिनांक 20 नवम्बर,2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :—डी.बी.पी.आई.एल. याचिका संख्या 3673/13 राधा शेखावत बनाम राज्य एवं अन्य के संबंध में।
संदर्भ :— माननीय उच्च न्यायालय द्वारा DLSAS on Behalf of RSLSA के द्वारा 50 महाविद्यालयो में करवाया गया निरीक्षण के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत डी.बी.पी.आई.एल. याचिका संख्या 3673/13 राधा शेखावत बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा सभी राजकीय महाविद्यालयो में टायलेट एवं यूनिल्स की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में यह आदेश दिया गया है कि समस्त महाविद्यालयों में शौचालय, यूरिनल्स तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था छात्र—छात्राओं की संख्या एवं स्टाफ (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक) के अनुरूप हो एवं शौचालय एवं यूरिनल्स की नियमित (दैनिक) साफ—सफाई की समुचित व्यवस्था की जावे।

इस संबंध में विभाग के पूर्व मे जारी पत्रांक 1464 दिनांक 20.4.2015 के द्वारा शौचालय एवं यूरिनल्स निर्माण के लिए मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। (संलग्न) विभाग के परिपत्र क्रमांक 2008 दिनांक 26.8.2019 के द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है कि शौचालय एवं यूरिनल्स निर्माण एवं इनकी नियमित (दैनिक) साफ—सफाई तथा शुद्ध पेयजल व्यवस्था यदि उचित अनुपात में नहीं है तो उक्त सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए छात्रनिधि तथा महाविद्यालय विकास समिति कोष में उपलब्ध राशि से अथवा स्थानीय भामाशाह /दानदाता/ MPLAD/ MLALAD के माध्यम से फण्ड प्राप्त कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करे।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा DLSAS on Behalf of RSLSA के द्वारा 10 जिलो के 50 महाविद्यालयो में निरीक्षण करवाया गया है। जिसमें छात्र—छात्राओं की संख्या एवं स्टाफ (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक) के अनुपात में शौचालय /यूरिनल नहीं होना पाया गया एवं उक्त सुविधाओ की दैनिक सफाई न होने पर नाराजगी जताते हुए सख्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये है। (संलग्न रिपोर्ट)

उक्त के संबध निम्नलिखित बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए सुविधा उपलब्ध करवाने की पालना करें।

- स्वच्छ पेयजल की सुविधा।
- पेयजल की व्यवस्था शौचालय से दूर हो।
- पानी की टंकी की सफाई का नियमित ध्यान रखा जावें।
- जल की स्वच्छता के लिए अपेक्षित कीटाणुनाशक का प्रयोग किया जावे।
- सह—शिक्षा महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए पृथक —पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में मानदण्डानुसार शौचालय की व्यवस्था हो।
- शौचालयों में पानी की सुविधा हो साथ ही हाथ धोने की व्यवस्था हो।
- छात्राओं के शौचालय में स्वच्छता के विशेष उपबन्ध के साथ सुरक्षात्मक स्थिति को भी ध्यान में रखा जावे।

अतः उक्त के संबध आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि छात्र—छात्राओ हेतु महाविद्यालय में मानदण्डानुसार शौचालय एवं यूरिनल्स के निर्माण एवं इनकी नियमित (दैनिक) साफ—सफाई तथा शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने की पालना करे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा महाविद्यालयों में उक्त के संबंध में कभी भी निरीक्षण करवाया जा सकता है। उक्त सुविधाओं मानदण्डानुसार व नियमानुसार नहीं पाये जाने पर आप स्वयं जिम्मेदार होगें।
संलग्न :— उपर्युक्तानुसार

भवदीय

19/11/19
(डॉ.आर.सी.मीना)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राज.,जयपुर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1 उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर ।
2 समस्त सहायक निदेशक,क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश की पालना संबंधित राजकीय महाविद्यालयों में करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3 प्रभारी वेबसाइट, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

19/11/19
(डॉ.आर.सी.मीना)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राज.,जयपुर